International Journal of Financial Management and Economics

P-ISSN: 2617-9210
E-ISSN: 2617-9229
IJFME 2022; 5(2): 65-68
Received: 14-05-2022
Accepted: 23-06-2022

डॉ0 रईस अहमद
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
रमाबाई अम्बेडकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ0 रईस अहमद
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
रमाबाई अम्बेडकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, भारत

नयी आर्थिक नीति में संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रासंगिकता

डॉ0 रईस अहमद

सारांश
ग्रामीण पृष्ठभूमि, स्थानीय संवेदनाओं, ग्रामीण समस्याओं के प्रति संवेदनशील, कम लागत वाले क्षेत्र पर आधारित ग्राम उन्मुख वाणिज्यिक कार्य वाले बैंक/संस्थान प्रारम्भ किये जाने चाहिए। ऐसे संस्थान लघु–सीमान्त व भूमिहीन कृषकों, मजदूरों, ग्रामीणों, दस्तकारों, लघु व्यापारियों एवं ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को उत्पादक ऋण व एक सीमा तक उपभोग ऋण देगें और संसाधनों का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करेगें।

कूट शब्दः ग्रामीण बैंक, ग्रामीण पृष्ठभूमि, स्थानीय संवेदनाआ, कृषकों, मजदूरों, ग्रामीणों, दस्तकारों

परिचय
भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का केन्द्र बिन्दू कृषि क्षेत्र है। कृषि की स्थिति मजबूत होने पर ही आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्वि होने पर उसमें प्रयुक्त साधनों की कार्यक्षमता ही नहीं बढ़ती बल्कि कृषि उत्पादन की मात्रा में भी वृद्वि होती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामाजिक व राजनैतिक स्थायित्व के उद्देश्य की पूर्ति करने में सफलता मिलती है।[1] कृषि के विकास से न केवल कच्चे माल की पूर्ति होती है बल्कि औद्योगिक उत्पादों हेतु बाजार भी सुलभ होता है।
गाँवों में कृषि मुख्य रूप से लोगों के आजीविका का साधन है। ग्रामीण इलाके में 65 प्रतिशत[2] रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 17.5 प्रतिशत[3] का योगदान करता है। कृषक सारे देश का अन्नदाता है। फिर भी उन्हें अभावग्रस्तता का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र को विकास की धूरी मानते हुए पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किये गये जैसे

- 1879 का दक्षिण कृषक सुविधा अधिनियम।
- 1934 का पंजाब ऋण समझौता अधिनियम।
- परिसीमन अधिनियम।
- 1969 में प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीकरण आदि।

विभिन्न प्रयासों के द्वारा गांवों के उत्थान व उनकी माली हालत सुधारने का प्रयास किया गया, परन्तु स्थिति में अपेक्षित सुधार न हो सका। बैंकों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के लिए देश में बैंकों का विकास तेजी से हो रहा था, परन्तु निजी क्षेत्र के ये बैंक व्यवसायिक दृष्टिकोण से मुख्यतः शहरों में केन्द्रित थे तथा ग्रामीण क्षेत्र महाजनों व साहुकारों के भरोसे छूट गये थे। इसकी पुष्टि साख सर्वेक्षण समिति 1954 की रिपोर्ट के द्वारा हो जाती है।
पूँजी निर्माण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने 14 व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीकरण इसलिए किया कि बैंकों का लाभ जो शहरों तक सीमित है, वह गाँव के कृषि, लघु उद्योग, छोटे व्यवसायियों तथा दस्तकारों तक भी पहुँचे, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो तथा बचत और पूँजी निर्माण में उसका योगदान बढ़े और सामाजिक स्तर ऊँचा उठे। इसके बावजूद भी अपेक्षित सफलताऐं नहीं मिली। इसका कारण यह था कि बैंकों का विकास पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाया था तथा उनका दृष्टिकोण व्यवसायिक अधिक था। इनकी नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी, इनका कार्य ऋण व साख उपलब्ध कराने तक ही सीमित था तथा इनकी दृष्टि में ग्रामीण जनता की भावनाओं का महत्व कम था।
शासन के उपरोक्त सभी प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका। अतः सरकार को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी, जो सीधे कृषकों व ग्रामीणजनों से सम्बन्धित हो अर्थात ग्रामीण वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए लाभ से वंचित ग्रामीणों को लाभान्वित कर सकें।

संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग आयोग द्वारा 1972 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस सुझाव की प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए गठित नरसिंहम समिति ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक खोले जाने की बात कही। समिति का मानना था कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो ग्रामीण आवश्यकताओं की पहचान व ग्रामीण सोच में सम्बन्ध स्थापित कर सके। 26 सितम्बर 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना का अधिनियम पारित किया गया एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती 02 अक्टूबर (वर्ष 1975) को देश में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी जो निम्न है

उत्तर प्रदेश के	1.मुरादाबाद में सिण्डीकेट बैंक द्वारा।
	2.गोरखपुर में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा।
राजस्थान के	3.जयपुर में यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा।
हरियाणा के	4.भिवानी में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा।
पंश्चिम बंगाल के	5.माल्दा में यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा।

ग्रामीण बैंक की स्थापना से पूर्व कृषि साख व्यवस्था

कृषि के क्षेत्र में पूँजी का तात्पर्य आधारिक आगमों, जैसे-बीज तथा उर्वरक से है। कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ अन्य आगमों को प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। कृषि में पूँजी एक ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रभावकारी बनाया जा सकता है। इस प्रकार कृषि साख प्राप्ति के

मुख्यतः दो श्रोत हैं।

(अ) संस्थागत स्रोता।
(ब) गैर संस्थागत स्रोत।

संस्थागत श्रोत

1. सरकारः सरकार द्वारा समय–समय पर कृषकों को ऋण प्रदान किये जाते हैं। इन ऋणों को तकाबी ऋण कहा जाता है। सामान्यतः यह ऋण प्राकृतिक आपदा जैसे– बाढ़, सूखा आदि के समय दिया जाता है। इन ऋणों पर ब्याज की दर कम होती है तथा ऋण को भू–राजस्व के साथ आसान किश्तों में वसूल किया जाता है। वास्तव में व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह ऋण कभी भी कृषि वित्त का श्रोत नहीं रहा है। कर के अनुदान में काफी लम्बा समय लगता है व राशि अनुपयुक्त होती है।

2. व्यापारिक बैंकः कृषि साख में व्यापारिक बैंकों का योगदान प्रारम्भ से ही बहुत कम रहा है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बाद कृषि साख के क्षेत्र में इनकी भूमिका में कुछ सुधार हुआ है। शुरू में ये बैंक केवल शहरी लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करते थे। इनकी शाखायें भी शहरों तक सीमित थी। इनका क्षेत्र प्रमुख रूप से व्यापार व उद्योग तक ही सीमित था। राष्ट्रीकरण के बाद इनकी शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने लगी तथा इनकी जमायें ग्रामीण क्षेत्रों से भी आने लगी। वास्तव में इनका मुख्य उद्देश्य कृषि साख उपलब्ध कराना नहीं होता है। अतः ये बैंक कृषि साख के उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे हैं।

3. सहकारी बैंकः कृषि साख की व्यवस्था हेतु सहकारी बैंकों की स्थापना की गयी। अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दृघकालीन साख की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए त्रि–स्तरीय साख संस्थाओं का विकास किया गया है।

गैर-संस्थागत श्रोत

निजी श्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देशी बैंकर तथा साहूकारों का है। भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में इस प्रकार के व्यक्ति किसी न किसी रूप में उधार देने का उपाय करते हैं। देशी बैंकर का तात्पर्य उस व्यक्ति या फर्म से है जो निक्षेपों (जमा) को स्वीकार करते हुए हुण्डीयों का व्यवसाय करने तथा ऋण देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये ऋण देने के साथ-साथ जमा स्वीकार करने का भी कार्य करते हैं।

साहूकार या महाजन वह व्यक्ति होता है जो अपने ग्राहकों को समय–समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करता है। ये व्यक्ति देश के भिन्न–भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही इनका आधिपत्य रहा है। आधुनिक काल में जबकि बैंकिंग तथा सम्बन्धित संस्थायें विकसित हो चुकी हैं, इसके बाद भी इनके अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। इनकी अपनी कुछ विशेषतायें होती हैं, जिसके कारण ये अन्य एजेंसियों की तुलना में अधिक अनुकूल स्थिति में होती हैं। इसके साथ ही ऋण देने वालों को कुछ सुविधायें प्रदान करते हैं। इनका कारोबार कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। ये ऋण लेने वालों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, अतः इनके कार्य करने के ढंग में पर्याप्त लोच रहता है। इनके ऋण देने का कोई निश्चित समय नहीं होता है और न ही ऋणों की जमानत पर विशेष जोर देते हैं। इस प्रकार उत्पादक व अनुत्पादक ऋण समय-समय पर प्रदान करते हैं।

वास्तव में देखा जाय तो इनकी कार्य शैली व व्यवहार में अनेक दोष पाये जाते हैं। ये ऋण लेने वालों से ऊँची दर पर ब्याज वसूल करते हैं तथा साथ ही साथ बेगार आदि भी करवाते हैं। इनके हिसाब–किताब की पद्धतियों में अनेक दोष पाये जाते हैं। कभी ब्याज तथा मूलधन न चुकाने पर किसान अपनी भूमि का अधिकार भी खो बैठता है तथा परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भारी बोझ के नीचे दबे रहते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कृषि साख के क्षेत्र में संस्थागत श्रोतों की अपेक्षा गैर-संस्थागत श्रोतों का वर्चस्व अधिक रहा है। गैर संस्थागत श्रोतों के वर्चस्व से साख का काफी भाग अनुत्पादक कार्यो में प्रयोग होता है। साहूकार तथा महाजन से प्राप्त ऋण काफी महंगी होती है तथा कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। ये किसानों का आर्थिक व सामाजिक शोषण करते हैं।

भारतीय कृषकों की निर्धनता, अशिक्षा, कृषि का जोखिमपूर्ण होना, जमानत देने की असमर्थता, छोटे व सीमान्त कृषकों का आधिक्य आदि भारतीय कृषि की ऐसी विशेषता है जो कि कृषि वित्त हेतु विशेष संस्थाओं की स्थापना व विकास को आवश्यक बना देती है। अतः कृषि वित्त की आदर्श कसौटियों को पूरा करना चाहिए।

1. निकटता
2. जमानत
3. सुविधा
4. उत्पादकता एवं प्रोत्साहन

निकटता से आशय ऋणदाता एवं ऋणी के निकट सम्पर्क से है, जिससे दोनों पक्षों को एक दूसरे के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है। इन सब कार्यो से पारस्परिक सद्भाव बना रहता है तथा किसी बात की जांच करने में धन व समय का अपव्यय नहीं होता। संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायः, साख की सुविधा लेने व्यक्तियों के पास ही स्थापित होती है। निकटता की आधारभूत दशाओं को पूरा करती है। इनकी स्थापना भी इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

जहाँ तक जमानत का सवाल है, कृषकों का सद्व्यवहार, आचरण तथा कृषि पेशे में उनकी स्थिति उनकी जमानत होती है। जमानत की इन्हीं विशेषताओं के कारण संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं से अच्छी मानी जाती है।

सुविधा का आशय साख प्राप्त करने के श्रोत के निकटता तथा साख की सरल पद्धती से होता है क्योंकि जब श्रोत सुविधाजनक नहीं होगा तब तक किसानों को सरल शर्तो पर साख उपलब्ध

नहीं हो सकता है। चूंकि संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्य रूप से किसानों के लिए ही की जाती है। अतः यह उच्च संस्थाओं की अपेक्षा सुविधाजनक होती है।

उत्पादकता एवं प्रोत्साहन का आशय उत्पादन क्षमता बनाये रखने से है। संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिस सेवा की भावना व उद्देश्य से स्थापित की गयी है, वह न केवल सुगम साख बल्कि सुरक्षित तथा उत्पादक साख की व्यवस्था करने में सक्रिय तथा अहम भूमिका निभाता है। उपर्युक्त व्यवस्था से स्पष्ट है कि कृषि साख की व्यवस्था में संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही उत्तम है।

ग्रामीण बैंक की स्थापना के उद्देश्य

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास एवं समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों विशेषकर लघु व सीमान्त कृषक, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण दस्तकार व कारीगर, खुदरा व्यापारी, लघु उद्योगी, स्व–रोजगार में संलग्न व्यक्तियों आदि को उनके उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए रियायती दर पर वित्तीय सुविधा समयानुसार, सहजतापूर्वक उपलब्ध कराना, जिससे उनकी आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाना तथा इन बैंकों में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करना था, जिससे वे स्थानीय जन–सामान्य की आवश्यकताओं, क्षेत्र की समस्याओं एवं वास्तविकताओं से परिचित होकर उनके अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर सके।

क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, साख सुविधाओं का आकलन कर उचित व्यक्ति को उचित उद्देश्य के लिए समयानुकूल सहजतापूर्वक ऋण व साख की व्यवस्था करना। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं एवं आवश्यकता सम्बन्धी जानकारी का प्रचार कर, सुगम व आसान पद्धति द्वारा शीर्ष बैंकिंग सुविधायें प्रदान करना।

ग्रामीण बैंकों को फसली ऋण, भूमि–सुधार ऋण, नये कुऐं खोदने तथा पुराने कुँओं की मरम्मत पम्पिंगसेट, सिंचाई, नाली निर्माण, कृषि उपकरण, थ्रेसर, ट्रीलर, गोबर गैस संयत्र, मुर्गी, सूअर, बकरी पालन, बैलगाड़ी, भण्डारण, उपभोग ग्रहण, दर्जीगिरी, बढ़ईगिरी, अन्य कारीगर–दस्तकार, ठेला, तांगाँ, रिक्शा, मत्स पालन आदि हेतु ऋण देकर उत्पादक व सेवा कार्यों में वृद्धि करना और ग्रामीण निर्धनों को स्व–रोजगार उपलब्ध कराना है।

इनका उद्देश्य सरकार द्वारा चलाये गये उन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी है, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समय–समय पर जारी किये जाते हैं। सहकारी बैंकों पर सामान्यतः बड़े किसानों का वर्चस्व होने के कारण निर्धन वर्ग को उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अतः सामाजिक न्याय के आधार पर उन्हें लाभान्वित करना है।

सहकारी व विपणन समितियाँ, कृषि सम्बन्धी परिष्करण समितियाँ, सहकारी कृषि समितियाँ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए किसानों की सेवा समितियाँ बनाना।

ग्रामीणों में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जमा राशि स्वीकार करके ग्रामीण बचत को एकत्रित करना तथा इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक कार्यों में लगाना।ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में अपनी शाखायें स्थापित करना है। जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, संचार आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शहरी मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वित्त (त्म.थ्पदंदंबम) के माध्यम से ऋण के प्रवाह का अनुपूरक चैनल तैयार करना।

ग्रामीण बैंकों का कार्य व्यवसायिक बैंकों के सहयोग के रूप में कार्य करना है न कि प्रतियोगी के रूप में। राष्ट्रपिता गाँधी के विचारों के अनुरूप गाँवों की सभ्यता और संस्कृति को स्थिर व अक्षुण रखकर ग्रामीण विकास करना।

नयी आर्थिक नीति में संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रासंगिकता

नयी आर्थिक नीति से अभिप्राय जुलाई 1991 के बाद से आर्थिक क्षेत्र में किये गये विभिन्न नीतिगत उपायों और परिवर्तनों से हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में प्रतियोगी वातावरण तैयार करके उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि की जाय। नयी आर्थिक नीति का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना है। इसक मुख्य उद्देश्य निम्न है

- अर्थव्यवस्था में विकास की दर को बढ़ाना।
- उत्पादन इकाइयों की कार्य कुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना।
- उत्पादन इकाइयों की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता को बढ़ाना।
- आर्थिक विकास के लिए विश्व व्यापी संसाधनों का उपयोग करना।
- अतीत से प्राप्त लाभों का समायोजन करना।

चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि और सम्बन्धित क्रियाओं पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आश्रित है। जबकि यह प्रतिशत अमेरिका में कुल जनसंख्या का 12 प्रतिशत तथा इंग्लैण्ड में कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत भाग ही कृषि पर आश्रित है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 30 लाख प्रतिवर्ष बढ़ जाती है,[2] जिससे कृषि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ रहा है। अतः भारतीय कृषि में अदृश्य बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है। भारत के आर्थिक समृद्धि के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। ग्रामीण विकास के लिए कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों के साथ–साथ गैर–कृषि उद्योगों का विकास भी आवश्यक है, जो बिना पर्याप्त पूँजी के सम्भव नहीं है। अभी भी कृषि क्षेत्र में पूँजी निवेश कुल जी0डी0पी0 का मात्र 1.9 प्रतिशत[3] ही हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी–निर्माण के लिए बैंकिंग व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार ग्रामीणों के इस समस्या के समाधान हेतु ग्रामीण बैंकों की स्थाापना की गयी। ग्रामीण बैंक ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर है, जिससे इसकी महत्ता ग्रामीण क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विशेष रूप से नयी आर्थिक नीति के अन्तर्गत उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता अधिक बढ़ गयी है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, उसके लिए उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में वित्त की व्यवस्था ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है।

नयी आर्थिक नीति लागू होने के पश्चात् बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक बढ़ गयी है, फिर भी ग्रामीण बैंक अपनी विभिन्न उदारीकृत योजनाओं तथा सुविधाओं के आधार पर ग्रामीण विकास में महती भूमिका निभा रहा है।प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में ग्रामीण बैंक अपने को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आपस में समझौता व विलय कर रहे हैं। अतः उदारीकरण के द्वितीय पीढ़ी के सुधारों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रयोग के तौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का निर्णय लिया गया।

परिणामतः 12 सितम्बर–2005 को भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों कोए कीकृत करने की अधिसूचना जारी की, उसके अनुसार प्रथमतः निम्नवत् ग्रामीण बैंकों का एकीकरण किया गया।

क्र0 सं0	ग्रामीण बैंक	समामेलित/एकीकृत ग्रामीण बैंक
1	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर (उ0प्र0)	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व बस्ती ग्रामीण बैंक।
2	काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उ0प्र0)	काशी ग्रामीण बैंक, गोमती ग्रामीण बैंक व संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
3	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब)	फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व शिवालिका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

इसके पश्चात् अब तक बहुत से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एकीकरण किया जा चुका है और शेष प्रक्रिया के अन्तर्गत है। ग्रामीण जनता को शून्य रू0 पर खाता खोलकर उनकी बचतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यही नहीं, निम्न ब्याज दर पर कृषि तथा गैर–कृषि साख की व्यवस्था भी बैंक कर रहे हैं।

विभिन्न नयी तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप बैंक किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान कर अपने महत्व को सिद्ध कर रहे हैं। वैश्वीकरण व उदारीकरण के दौर में कृषि को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए कृषि निर्यात, फसलों तथा आयात प्रतिस्थापित फसलों को उपजाने के लिए किसानों को कम दर पर ऋण मुहैया करा रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना भी वर्तमान आर्थिक नीति का उद्देश्य है। अतः इस क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने में ग्रामीण बैंक अहम भूमिका निभा रहे हैं। नयी आर्थिक नीति के तहत कमजोर वर्गों के समुचित विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋणों का अधिकतम भाग कमजोर वर्गों के लिए दिया जाता है। जैसे

- किसान साथी योजना (23.08.2007 से लागू)[4]
- ग्रामीण ग्रीन कार्ड योजना
- कृषक मित्र योजना
- कृषक समृद्धि योजना आदि के तहत दी जानी वाली वित्तीय सहायता, इसने दूर–दराज के गाँवों में अपनी शाखायें खोलकर ग्रामीण जनता के घर–घर तक बैंकिंग सेवायें उपलब्ध करायी है।

10,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की कुल शाखायें 1980 में जहाँ 11,652 थी, वहीं वर्ष 2004 के अन्त तक बढ़कर 14,507 हो गयी थी। दुर्गम व पिछड़े क्षेत्रों में शाखा खोलने में कीर्ति स्थापित किया है। सर्वाधिक शाखायें उ0प्र0 में हैं। इन बैंकों की 82.6 प्रतिशत शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हुई है।[5] इन बैंकों ने कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के ऋण प्रवाह[5] में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो निम्न सारणी से स्पष्ट है–

सारणी 1: कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह (करोड़ रूपये में)

वर्ष	2005-2006	2007-08	2009-10	2011-12	2013-24
प्रदत्त ऋण	3,172	4,219	5,467	7,581	10,500

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि बैंक के ऋण वितरण में 1991-92 की तुलना में 2004-05 में लगभग 18 गुणा वृद्धि हुयी है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी ग्रामीण विकास का आधार रहा है। ग्रामीण बैंक इनके विकास हेतु पर्याप्त ऋण व सुविधायें प्रदान कर रहे हैं। इसमें कुशल व अकुशल ग्रामीणों को गैर–कृषि क्षेत्रों जैसे– दस्तकारी, हथकरघा, कम्प्यूटर, इन्टरनेट आदि के विकास के लिए आर्थिक मदद व विशेषज्ञों द्वारा परामर्श प्रदान करा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश शाखा होने के कारण सरकारी नीतियों व योजनाओं को आसानी से क्रियान्वित किया जाता है। इससे उचित व्यक्तियों को त्वरित लाभ प्राप्त होता है। बेरोजगारों के लिए बैंक स्व–रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं व नीतियों के तहत ऋण व अवसर उपलब्ध करा रहा है जैसे

- स्व-रोजगार क्रेडिट कार्ड योजना।
- कारीगर क्रेडित कार्ड योजना।
- ट्रेड फाइनेंस योजना।
- अपना उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना।[7]

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण बैंक की प्रासंगिकता पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गयी है। इनकी उपादेयता न केवल ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना है बल्कि, ग्रामीण जनता के आर्थिक व सामाजिक विकास के द्वारा उनके जीवन की गुणवत्ता का विकास करना भी है। इस प्रकार नयी आर्थिक नीति के पश्चात् इसकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गयी है।

सन्दर्भ सूची

1. चरण सिंह, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, पृष्ठ संख्या 41-42
2. कुरूक्षेत्र, जनवरी 2007, पेज 29-30
3. आर्थिक समीक्षा 2008-09, (2009-10 में 15 प्रतिशत)
4. आर0बी0आई0 के तात्कालिक गर्वनर डॉ0 सी0 रंगराजन के अनुसार।
5. कुरूक्षेत्र जनवरी 2007, पृष्ठ संख्या-40
6. कुरूक्षेत्र जनवरी 2007 पृष्ठ संख्या-30